वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 08.04.2025

अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

जासं, वाराणसी :विकास प्राधिकरण जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के बैजलपट्टी में बिना ले-आउट पास कराए चार बीघे में अवैध निर्माण हो रहा था। बुलडोजर से बाउंड्री को तोड़ दिया गया। जोन पांच के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि रामनगर वार्ड के कोदोपुर में अमित राय अवैध तरीके से निर्माण कर रहे थे। भवन को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

दैनिक जागरण–दि0 08.04.2025

हाइवे और रिंग रोड के किनारे आबाद नहीं होने पाएं अवैध कालोनियां : सचिव

- अवैध प्लाटिंग तोड़ने के साथ भवन प्रभारी को दें फोटोग्राफी किया जाएगा औचक निरीक्षण
- सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मी रखें नजर, जोनल अधिकारी और जेई करें निगरानी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : हाइवे और रिंग रोड किनारे वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से प्लाटिंग करने पर वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने नाराजगी जाहिर की है। कार्रवाई के बाद भी अवैध तरीके से प्लाटिंग होने पर वीडीए सचिव ने सभी जोनल अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कार्रवाई करने के साथ अपर सचिव (भवन प्रभारी) को फोटोग्राफी भी दें जिससे समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाए। क्षेत्र के सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मी वहां नजर रखेंगे। जोनल अधिकारी और अवर अभियंता मानीटरिंग करेंगे।

डा. वेद प्रकाश मिश

पिछले एक साल में वीडीए ने हाइवे और रिंग रोड किनारे अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग होने पर 100 से अधिक बाउंड्री तोड़ने की कार्रवाई की है। अवैध निर्माण तोड़ने के साथ सील भी किया लेकिन बाद में कुछ लोग चोरी-छिपे निर्माण कर लेते हैं। शिकायत संग अन्य स्रोतों से जानकारी मिलने पर वीडीए सचिव इसकी गोपनीय जांच कराई तो कुछ स्थानों पर आरोप सही मिले हैं। जोन और वार्ड में कर्मचारियों के स्थानांतरण होने से अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने में परेशानी होगी, ऐसे में उन्होंने सभी जोनल अधिकारी को पत्र लिखकर हिदायत दी है कि हाइवे और रिंग रोड के आसपास कोई अवैध कालोनियां आबाद नही होनी चाहिए, क्योंकि यहां महायोजना-2031 में मिश्रित जमीन के अलावा कालेज, उद्योग, पेट्रोल पंप आदि प्रस्तावित है। मनमाने तरीके से निर्माण होने से महायोजना-2031 का कोई फायदा नहीं होगा।

आज—दि0 08.04.2025

गत वित्तिय वर्ष में विप्रा को लक्ष्य से अधिक हुआ लाभ

१४ होटल, १९ ग्रुप हाउसिंग को मिली अनुमति

विकास प्राधिकरण २०२४-२५ में लगभग १३४.७५ राजस्व की प्रापटी करकर एक रेकार्ड बनाया है। इसमें १४ होटल, १९ ग्रुप हाउसिंग, तीन लेआउट पास करके उन्होंने कोष में अनुमानित से अधिक आय प्राप्त की है। जबकि १४६१५.०० लाख के सापेंक्ष में १७५५२.४५ लाख की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार ९६९०.३५ लाख से अधिक आय प्राप्त हुई है। विभाग के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की तारीफ करते हुए उन्हें सापेंक्ष से अधिक राजस्व प्राप्त करने पर उन्हें बधाई दी। प्रमुख अनुभागों में संपत्ति अनुभाग में १२०.१० प्रतिशत, भवन अनुभाग में १४०.८१ प्रतिशत और विधि अनुवाद में १६१.५२ प्रतिशत की आय हुई है। इसमें शहरी विकास निर्माण कार्य के लिए व्यय किया गया जिसमें ६५१६.३४ की जगह ६४३४.४८ लाख खर्च किये गये। लोगों को मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए अलग से सेल का गठन किया गया है। वहीं अभियंता और आर्टिटेक को अच्छे कार्य पर सम्मानित भी किया गया। आधुनिक कार्यशाला बनाया गया जिससे लोगों को अपनी कठिनाई दूर करने में आसान होगी। भू प्रयोग के लिए पोर्टल का निर्माण किया गया। समस्याओं का त्वरित निदान के लिए सेल बनाया गया है। जहां लोग आसानी से अपने समस्या का समाधान करा सकते हैं। विप्रा एक साथ संसाधन सीजन विकास कार्य की प्रक्रिया और काशी में विकास की नयी गति देने पर तत्पर है।

ज्ञानशिखा टाइम्स—दि0 08.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरणकी प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

वार्ड-शिवपुर, अज्ञात द्वारा मौजा-बैजलपट्टी, थाना-बड़ागाव, में पक्ष द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग (04. बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 को उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 07.04.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता संजय तिवारी व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

इंडियन एक्सप्रेस–दि0 08.04.2025

Varanasi Development Authority crosses budget target for fiscal

Lucknow: The Varanasi Development Authority (VDA), in the 2024-25 fiscal, recorded more than its budget target and made progress in development works, officials said on Monday. The authority received Rs 37,106.23 lakh against the target of Rs 27,537.59 lakh set for 2024-25, which is 134.75 per cent. This growth is more than the target and also 34.64 per cent higher than the previous year, officials said. **ENS**

न्यायाधीश–दि0 08.04.2025

वीडीए जोन-1 द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा के प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-शिवपुर, अज्ञात द्वारा मौजा-बैजलपट्टी, थाना-बड़ागाव, में पक्ष द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग (04. बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 को उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 07.04.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता संजय तिवारी व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें

न्यायाधीश–दि0 08.04.2025

वाविप्रा जोन-5 द्वारा की गई अवैध निर्माण के खिलाफ सीलबन्दी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-5, वार्ड-रामनगर की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-रामनगर के अन्तर्गत अमित राय पुत्र अमर नाथ यादव द्वारा मौजा-कोदोपुर एवं स्वामी नाथ पुत्र स्व0 श्रीनाथ द्वारा मौजा-कोदोपुर, थाना-रामनगर, जिला-वाराणसी में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वी0डी0ए0/ए0एन0आई0/2025/0004964/नो0 दिनांक 03.03.2025 को नोटिस की कार्यवाही की गई थी पक्ष द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर आज दिनांक 07-04-2025 को भवन को सील कर दिया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक कुमार उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।